उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT.05/07/17

08 AUG 2017

समझौता ज्ञापन (MOU)

प्रस्तुत समझौता ज्ञापन निम्नवत संस्थाओं के मध्य दिनाँक ..... को हस्ताक्षरित किया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ (CST, U.P.) विज्ञान भवन, 9 नबी उल्लाह रोड, सूरजकुण्ड पार्क, लखनऊ-226018 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गम रजिस्टर्ड स्वायत्तशासी संस्था है जिसकी स्थापना उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनाँक 01 मई, 1975 को की गयी थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र, लखनऊ का मूल उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सर्वांग विकास निहित है जिसके अन्तर्गत शोध प्रोत्साहन, तकनीकी विकास, उच्चीकरण एवं हस्तान्तरण, उद्यमिता विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार तथा विज्ञान लोकप्रियकरण, नक्षत्रशाला के माध्यम से अंतरिक्ष ज्ञान का संवर्धन आदि किया जाता है।

एवं

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देवरिया रोड, गोरखपुर-273010 वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर-सम्बद्ध, शिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया, जो 1962 में स्थापित मदन मोहन मालवीय अभियांत्रिकी कालेज, गोरखपुर के पुनर्गठन के बाद विश्वविद्यालय बना। यह विश्वविद्यालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन शिक्षा मे अध्ययन अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, उत्पाद नवीनता और शोध कार्य को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढावा देने के उद्देश्य से एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र मे कार्यरत् शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में से एक है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ एवं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के मध्य निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति प्रदान की गयी है-

1. दोनों संस्थान संयुक्त रूप से तृणमूल स्तर के नवप्रवर्तकों के द्वारा विकसित किये गये नवअन्वेषी मॉडल के प्रोटोटाइप को विकसित करने में सहयोगी होंगे।

2. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा प्रोटोटाइप डिजाइन, मूल्य संवर्धन के दौरान नोडल अधिकारी नामांकित कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को सूचित किया जायेगा। तदानुसार ही परिषद द्वारा एक सक्षम अधिकारी भी नामित किया जायेगा। जिससे आवश्यकता अनुसार समन्वय स्थापित किया जा सके।

3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ऐसे नवप्रवर्तकों को सूचीबद्ध करेगा जो गोरखपुर जनपद के समीप जनपदों से आते है एवं जिनके नवप्रवर्तन में सुधार एवं संवर्धन की आवश्यकता प्रतीत होती है। वहीं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर अपने नवप्रवर्तन इन्क्यूवेशन केन्द्र के माध्यम से परिषद द्वारा चयनित किये गये इन नवप्रवर्तनों के प्रोटोटाइप, डिजाइन एवं मूल्य संवर्धन में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही साथ नवप्रवर्तन से सम्बंधित आने वाले सम्भावित व्यय को परियोजना के रूप में तैयार कर परिषद को प्रदान करेगा।

4. परियोजना प्राप्त होने पर परिषद के स्तर पर गठित नवप्रवर्तन विकास समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं समिति की सहमति के उपरान्त आने वाले सम्भावित व्यय के 50 प्रतिशत का भुगतान परिषद द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्रथम चरण में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को प्रदान की जायेगी। शेष 50 प्रतिशत अनुदान पूर्व में दिये गये अनुदान के 80 प्रतिशत उपयोग होने की स्थिति में संस्था द्वारा उपयोग प्रमाणक पत्र की दशा में तथा संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने की आकांक्षा में द्वितीय चरण में प्रदान की जायेगी।

5. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के विषय विशेषज्ञों द्वारा नवप्रवर्तन के तीन प्रोटोटाइप विकसित कराये जाने होंगे जो कि मूलतः विकासकर्ता संस्थान, परिषद एवं नवप्रवर्तक को प्रदान किये जायेंगे। तीनों प्रोटोटाइप का लागत मूल्य परिषद द्वारा वहन किया जायेगा।

6. यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में स्थापित नवप्रवर्तन इन्क्यूवेशन केन्द्र में ऐसे नवप्रवर्तकों तथा अन्य प्रवर्तकों के बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बंधित अधिकारों के संरक्षण के लिये एक आई0पी0आर0 सेल का गठन परिषद द्वारा किया जायेगा। इस सेल हेतु परिषद द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।

7. प्रोटोटाइप डिजाइन एवं संवर्धन अवधि के दौरान विद्यार्थियों/शोधार्थियों को कोई मानदेय देय नहीं होगा।

8. प्रोजेक्ट के दौरान चार-पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में बैठक के दौरान होने वाला व्यय परिषद द्वारा वहन किया जायेगा तथा ठहरने इत्यादि की व्यवस्था मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा की जायेगी एवं तत्सम्बंधित व्यय भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 द्वारा वहन किया जायेगा।

9. प्रोटोटाइप डिजाइन एवं संवर्धन के दौरान मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा कार्य करने वाला विशेषज्ञ नवप्रवर्तकों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य सम्पादित करायेगा एवं विषय-विशेषज्ञों द्वारा किया गया सुधार पूर्ण रूप से नवप्रवर्तक के हित में होगा। संवर्धित तकनीकी पर पूर्ण अधिकार नवप्रवर्तक का ही होगा। नवप्रवर्तक के सहयोग के रूप में विषय विशेषज्ञ द्वारा किये गये योगदान हेतु परिषद उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। यदि इस प्रकार के नवप्रवर्तन विकास में विषय विशेषज्ञ अपने संस्थान के किसी विद्यार्थी का सहयोग लेता है तो परिषद उसे भी सम्मान के तौर पर विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

10. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा नवप्रवर्तकों को हर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा एवं प्रोजेक्ट कार्य के दौरान उनके ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा एवं प्रोजेक्ट कार्य में लगे कोई विषय विशेषज्ञ या शोधार्थी द्वारा नवप्रवर्तक को अपना नाम सम्मिलित करने हेत बाध्य नहीं किया जायेगा।

11. प्रोटोटाइप डिजाइन एवं सवंर्धन के पश्चात् मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर, परिषद को प्रोटोटाइप, यू0सी0 के साथ पूर्ण जानकारी यथा सैद्धान्तिक विवरण, विशेषतायें, तकनीकी ज्ञान, उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं उपकरणों के पूर्ण विवरण के साथ पुस्तिका के रूप में परिषद को उपलब्ध करायेगा।

12. प्रोटोटाइप डिजाइन एवं संवर्धन के दो फॉलोअप समिति द्वारा परियोजना विकास स्थल पर संयुक्त रूप से किया जायेगा जिससे प्रोटोटाइप में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु समुचित समाधान किये जा सकें।

13. कोई बिन्दु जो उपरोक्त बिन्दुओं में समाहित नहीं होता दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर सम्मिलित किया जा सकता है जो इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा होगा। समझौता ज्ञापन में निहित परियोजनाओं/कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन हेतु लागत/व्यय का वहन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

14. यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के हस्ताक्षरित करने की तिथि से प्रभावी होगा और एक वर्ष के अन्दर कार्य का निस्पादन किया जाना होगा।

15. समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत किसी विवाद की स्थिति में अथवा कार्य आवंटन के सम्बंध में सूचना का आदान-प्रदान सम्बंधित पक्ष के द्वारा पत्राचार, ई-मेल आदि के माध्यम से आवश्यक होगा तो सुनिश्चित की जायेगी।

16. किसी विवाद एवं मतभेद की स्थिति में दोंनों पक्षों की सहमति से कार्य सम्पादित किये जायेंगे। असहमति की दशा में आर्बिट्रेटर को संदर्भित किया जायेगा जो कि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं परिषद के महानिदेशक की आपसी सहमति से नियुक्त एवं संदर्भित होंगे।

न्याय क्षेत्रः-

किसी मतभेद अथवा विवाद की स्थिति में जिसमें न्यायपालिका आवश्यकता होगी न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

सम्बंधित पक्षः-

सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ (CST, UP) विज्ञान भवन, 9 नबीउल्लाह रोड, सूरज कुण्ड पार्क, लखनऊ-226018 (उ0प्र0)

(ANIL YADAV)
Secretary
Council of Science & Technology, U.P.
Lucknow

कुलपति

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देवरिया रोड, गोरखपुर-273010 (उ0प्र0)

अधिष्ठाता निशोजन

गवाहः-

1. RADHEY LAL
J.D. CST UP

2. Dr. SHASHI RANA
J.D. CST UP.

गवाहः-

1. कुलसचिव
म० मो० मा० प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर-273010 (उ० प्र०)

2. (डॉ० गोविन्द पाण्डेय)
महाविद्यालय सम्पर्क अधिकारी

उपरोक्त समझौता ज्ञापन दो प्रतियों में हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसकी एक-एक प्रति दोनों पक्षों के पास रहेगी।